UPMO010063142024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–(संदीप गुप्ता–द्वितीय), जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 2636

सत्र परीक्षण संख्या–730/2024

उत्तर प्रदेश राज्य ---------**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1. शाजिद पुत्र जाहिद,
2. हाजी अनवार पुत्र कल्लन उर्फ कल्लू,
3. सिबतेहसन पुत्र कल्लन उर्फ कल्लू **(मृतक),**
4. जहाँगीर पुत्र जमील कुरैशी,
5. दिलशाद पुत्र सबदर,

निवासीगण–ग्राम खैरखाता, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद ।

--------**अभियुक्तगण ।**

मुकदमा अपराध सं0–139/2022
धारा–3/5/8 सी0 एस 0 एक्ट,
थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद।

निर्णय

(1)– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, सिबतेहसन, दिलशाद एवं जहाँगीर के विरूद्ध थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद द्वारा अपराध संख्या–139/2022, धारा–3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत कर अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01 मुरादाबाद द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 12.09.2022 व 01.03.2023 को लिया गया।

उल्लेखनीय है कि दौराने विचारण अभियुक्त सिबतेहसन पुत्र कल्लन उर्फ कल्लू, निवासी ग्राम खैरखाता, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही 22.01.2026 को उपशमित की गयी।

(2)– मुकदमे का संक्षिप्त विवरण :– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–आज दिनांक 12.6.2022 को मैं उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह हेड कां0 434 राजीव कुमार के मय एच.जी. 207 जोधा सिंह व एच.जी. 257 हरिप्रकाश के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 35 समय 12.27 बजे पर वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, तलाश वांछित अभियुक्त में रवाना होकर चौकी क्षेत्र मानपुर में डूंगरपुर चौराहे से गस्त करते हुए ग्राम खेरखाता पहुँचे तो गांव खेरखाता के दो व्यक्ति मिले, जिन्होंने अपने नाम सूरजपाल सिंह पुत्र भूकन सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र महावीर सिंह, निवासीगण ग्राम खैरखाता, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद बताया और बताया कि हमारें गांव के शमशानों के पास नदीं के किनारे आनन्दपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के खेत में यू.के. लिप्टिस के पेड़ों की आड़ में हमारे गांव

Digitally signed by Sandeep Gupta
Date: 2026.04.02 16:59:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के ही कुछ लोग प्रतिबन्धित गोवंशीय पशु का वध कर रहे हैं। अगर आप जल्दी करें तो पकड़े जा सकते हैं। गांव के लोगों की सूचना पर यकीन करके सूरजपाल सिंह आदि को यू.के लिप्टिस के पेड़ों की आड़ में छुपकर देखा तो छः सात व्यक्ति मांस के टुकड़े करके थैलियों में भर रहे हैं। देखकर हम पुलिसवालों को यकीन हो गया कि यही लोग प्रतिबन्धित गोवंशीय पशु का बध कर रहे हैं। हम पुलिस वालो ने घेर कर एक बारगी दबिश दी तो ये लोग सभी नदी की तरफ को भागे, जिनका पीछा हम पुलिस वालो द्वारा किया गया, परन्तु जंगल होने के कारण हाथ नहीं आये। भागे हुए व्यक्तियों को सूरजपाल सिंह व योगेन्द्र सिंह ने पहचान कर शाजिद पुत्र जाहिद, हाजी अनवार पुत्र कल्लन उर्फ कल्लू, सिबतेहसन पुत्र कल्लन उर्फ कल्लू, दिलशाद पुत्र सबदर, जहांगीर पुत्र जमील कुरैशी निवासीगण खेरखाता, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद बताया तथा पास में पड़ी दो छुरी, एक कुल्हाड़ी व लकड़ी का एक गट्टा बरामद हुआ। बरामदा छुरी कुल्हाड़ी व लकड़ी के गट्टे को पास पड़े प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया। अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, सिवतेहसन, दिलशाद, जहांगीर का यह फेल धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम की हद को पहुँचता है। बरामदा गोमांस की फोटोग्राफी की गई तथा पशु चिकित्साधिकारी को मौके से द्वारा दूरभाष सूचना दी गई। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा लिखकर पढ़कर गवाह व हमराह कर्मचारियों को सुनाकर गवाही के हस्ताक्षर बनवाये गये तथा गवाह योगेन्द्र सिंह ने बताया कि भागे अभियुक्तगण में से हम दो अभियुक्तगण को पहचान नहीं पाये, जिन्हें हमने पहचाना है। उनके नाम, पते हमने आपको बता दिये हैं। बरामदा गोमांस को द्वारा उचित माध्यम हमराह कर्मचारीगण की मदद से लेकर थाने आये। यह घटना समय करीब 14.10 बजे की है तथा घटनास्थल के पास घास में पड़ा एक मोबाइल फोन रीयलमी रंग नीला जिसे चैक किया तो उक्त मोबाइल में शाजिद की फोटो लगी है। मोबाइल फोन को एक लिफाफे में रखकर चिट बन्दी की गई।"

(3)– उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–3ए के आधार पर थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में मु0अ0सं0–139/2022, अंतर्गत धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट, शाजिद, हाजी अनवार, सिबतेहसन, दिलशाद, जहाँगीर, अज्ञात 1 एवं अज्ञात 2 के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना प्रारम्भ की गई। दौराने विवेचना विवेचक द्वारा एफ0आई0आर0 की नकल केस डायरी में किता की तथा गवाहों के बयान अंकित किये तथा विवेचक द्वारा अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, सिबतेहसन एवं जहाँगीर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अ0सं0–139/2022 में धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट में आरोप पत्र संख्या–153/2022 प्रेषित किया गया तथा अभियुक्तगण दिलशाद एवं अज्ञात 1 व अज्ञात 2 के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी गयी। तत्पश्चात् विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अज्ञात 1 व अज्ञात 2 का नाम प्रकाश में नहीं आना पाया गया तथा अभियुक्त दिलशाद के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट आरोप पत्र संख्या–153ए/2022 प्रेषित किया गया।

(4)– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, सिबतेहसन, दिलशाद एवं जहाँगीर को आहूत किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रपत्रों की नकलें देने के उपरान्त उक्त मामला माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय व परीक्षणीय होने के कारण दोनों मुकदमे माननीय सत्र न्यायालय में परीक्षण हेतु दिनांक 08.08.2024 को उपार्पित किये

गये, जिसके आधार पर सत्र परीक्षण संख्या–730/2024 संस्थित हुआ एवं जरिये अंतरण इस न्यायालय को परीक्षण हेतु प्राप्त हुए।

(5)– उभयपक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर मौजूद प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, सिबतेहसन, दिलशाद एवं जहाँगीर के विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या–730/2024 में धारा धारा–3/5/8 सी0 एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप दिनांक 02.09.2024 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा विरचित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की याचना की। अतः मामला वास्ते साक्ष्य अभियोजन नियत हुआ।

(6)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	अभियोजन साक्षी क्रमांक
1.	अरविन्द कुमार, उपनिरीक्षक	पी0 डब्लू0–1
2.	योगेन्द्र सिंह	पी0 डब्लू0–2
3.	सूरजपाल सिंह	पी0 डब्लू0–3
4.	डॉ0 नरेशचन्द्र, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	पी0 डब्लू0–4
5.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक	पी0 डब्लू0–5
6.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक	पी0 डब्लू0–6

(7)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा जो प्रपत्र प्रदर्श के रूप में तथा जो माल मुकदमाती वस्तु प्रदर्श के रूप में साबित किये गये हैं, उनकी सूची निम्नानुसार है–

क्र.सं.	साक्षी का नाम व संख्या, जिसने साबित किया है।	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1.	अरविन्द कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–1	एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–1
2.	अरविन्द कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–1	जी.डी. नंबर 48	प्रदर्श क–2
3.	डॉ0 नरेशचन्द्र, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पी0 डब्लू0–4	मांस परीक्षण	प्रदर्श क–3
4.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–3 ए
4.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	नमूना मोहर कागज सं0 27a	प्रदर्श क–4
5.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	कटटे पर	वस्तु प्रदर्श–1

6.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	लिफाफा	वस्तु प्रदर्श–2
7.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	मोबाईल REALME	वस्तु प्रदर्श–3
8.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	लकडी का गटटा	वस्तु प्रदर्श–4
9.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	कुलहाडी लोहे की	वस्तु प्रदर्श–5
10.	सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–5	दो छुरी लोहा	वस्तु प्रदर्श–6 व वस्तु प्रदर्श–7
11.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5
12.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	विधिविज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने सैम्पल का प्रपत्र	प्रदर्श क–6
13.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	कागज स 0–5/40 FSL मांस परीक्षण हेतु दाखिला	प्रदर्श क–7
14.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	FSL रिपोर्ट	प्रदर्श क–8
15.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	मांस निस्तारण DVD	प्रदर्श क–9
16.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	मांस निस्तारण के समय लिये गये फोटो	प्रदर्श क–10
17.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	मांस निस्तारण कि जी.डी.–52	प्रदर्श क–11
18.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	सुपुर्दगार को दिये गये समान की सूची	प्रदर्श क–12
19.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	आरोप पत्र सं0 153/22	प्रदर्श क–13
20.	सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–6	आरोप पत्र सं0 153A/22	प्रदर्श क–14

(8)– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 30.03.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षीगण के बयानों को गलत बताते गलत मुकदमा चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से इन्कार किया गया।

(9)–विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना

तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

(10)– सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षियों की मुख्य परीक्षा में आये तथ्यों का विवरण दिया जाना उचित हैः–

(11)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–1 अरविन्द कुमार, उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–''दिनांक 12.06.2022 को मैं थाना भगतपुर में बतौर एच.एम. तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी थाना कार्यालय पर थी। तभी मुझे एक हस्तलिखित तहरीर उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने लाकर दी, जिस पर थाना प्रभारी मौखिक आदेश पर मैंने मुकदमा अपराध संख्या–139/2022, धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट बनाम शाजिद, हाजी अनवार, सिफ्ते हसन, दिलशाद, जहांगीर, अज्ञात–2 के विरुद्ध दर्ज किया था जो कि फर्द के आधार पर शब्द व शब्द बोलकर सी.सी.टी.एन.एस. पर कम्प्यूटर ऑपरेटर सोहनपाल से अंकित करायी थी। पत्रावली पर कागज संख्या–4/1 ता 4/4 एफ.आई.आर. की मूल प्रति संलग्न है। तस्दीक करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया, जिसका खुलासा जी.डी. नंबर 48 दिनांक 12.06.2022 समय 17.40 बजे किया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या–5/17 पर संलग्न है। तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।"

(12)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–2 योगेन्द्र सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 12.06.2022 को मैंने व सूरजपाल सिंह ने देखा कि जब हम खेत पर जा रहे थे, तो हमारे गांव के शमशानों के पास नदीं किनारे आनन्द पाल के खेत में पेड़ों की आड़ में कुछ व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को काट रहे थे। हम लोगों ने चौकी मानपुर को फोन से सूचना दी, चौकी इन्चार्ज मौके पर आये। हम लोगों ने आड़ से छुपकर देखा तो 06–07 लोग मांस के टुकड़े करके थैले भर रहे थे, जैसे ही उन्होंने हमें व पुलिस वालों को देखा तो वहां से भाग गये। जिनका पीछा पुलिसवालों ने किया, लेकिन हाथ नहीं आ सके। भागने वाले व्यक्तियों को हमने भागते समय पहचाना था, क्योंकि वह हमारे ही गांव के साजिद, हाजी अनवार, सिफ्ते हसन, दिलशाद, जहांगीर व 02 अन्य लोग थे, जिन्हें हम नहीं जानते थे। वहां पर मिले गोवंशीय मांस व अवशेषों को चौकी इंचार्ज द्वारा थाने लाया गया था। यह बात मैंने दिनांक 16.07.2022 को विवेचक को भी बतायी थी। मौके पर दरोगा जी ने जो बरामदगी फर्द बनायी, उस पर भी मेरे हस्ताक्षर कराये थे जो पत्रावली पर कागज संख्या–4/15 मौजूद है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ।"

(13)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–3 सूरजपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 12.06.2022 को मैंने व योगेन्द्र सिंह ने देखा कि जब हम खेत पर जा रहे थे तो हमारे गांव के शमशानों के पास नदी किनारे आनन्द पाल के खेत में पेड़ों की आड़ में कुछ व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को काट रहे थे। हम लोगों ने चौकी मानपुर को फोन से सूचना दी कि चौकी इंचार्ज मौके पर आये। हम लोगों ने आड़ से छुपकर देखा वो 06–07 लोग मांस के टुकड़े करके थैले में भर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमें व पुलिस वालों को देखा तो वहां से भाग गये, जिनका पीछा पुलिसवालों ने किया, लेकिन हाथ नहीं आ

सके। भागने वाले व्यक्तियों को हमने भागते समय पहचाना था, क्योंकि वह हमारे ही गांव के साजिद, हाजी अनवार, सिफ्ते हसन, दिलशाद, जहांगीर व 02 अन्य लोग थे, जिन्हें हम नहीं जानते थे। वहां पर मिले गोवंशीय मांस व अवशेषों को चौकी इंचार्ज द्वारा थाने लाया गया था। यह बात मैंने दिनांक 16.07.2022 को विवेचक को भी बतायी थी। मौके पर दरोगा जी ने जो बरामदगी फर्द बनायी, उस पर भी मेरे हस्ताक्षर कराये थे जो पत्रावली पर कागज संख्या–4/15 मौजूद है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ।"

(14)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–4 डॉ0 नरेशचन्द्र, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 12.06.2022 को मैं पशु चिकित्सालय डिलारी पर बतौर पशु चिकित्साधिकारी तैनात था। उस दिन मैं पशु चिकित्साधिकारी, पशु चिकित्सालय भोजपुर का भी इन्चार्ज था। उस दिन मुझे थाना भगतपुर से मांस बरामद किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मैंने मौके पर जाने में समर्थता जताते हुए बरामद मांस का परीक्षण थाने पर आकर करने को कहा। उसी दिन मैं समय लगभग 6 पी.एम. थाना भगतपुर पहुँचा। मैंने थाना परिसर में बरामद मांस लगभग दो कुन्टल का भौतिक परीक्षण करते हुए पाया कि बरामद मांस पर लगी खाल जिस पर छोटे बाल जिनका रंग ब्राउन था। मांस पर लगी चर्बी पीले कलर की थी। लगभग बरामद मांस 6–7 घण्टे पहले का कटा हुआ था। मेरी राय में बरामद मांस गोवंशीय पशु का होना प्रतीत हो रहा था। बरामद मांस से मैंने रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला मथुरा भेजे जाने के लिए दो प्लास्टिक के जार में सैंपिल लिया था, जिसको शील सर्वे मोहर नमूना मोहर बनाया था। पत्रावली पर कागज संख्या–15/19 ता 15/20 मांस परीक्षण रिपोर्ट मौजूद है जो मेरे द्वारा भगतपुर पर मांस परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, तस्दीक करता हूँ। रिपोर्ट पर प्रदर्श क–3 डाला गया।"

(15)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–5 सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 12–06–2022 को मैं थाना भगतपुर में बतौर उप निरिक्षक तैनात था। उस दिन मैं पुलिस चौकी मानपुर का बतौर प्रभारी तैनात था। उस दिन मैं मय हमराही हेड का0 राजीव कुमार, होम गार्ड जोधा सिंह व होम गार्ड हरि प्रकाश के थाना हाजा से व हवाले रपट नम्बर 35 समय 12:27 बजे रवाना होकर चौकी छेत्र मानपुर में वास्ते देखरेख व शांति व्यवस्था आदि में मामुर थे। जब हम डूंगरपुर चौराहे से गस्त करते हुये ग्राम खैरखाता पहुंचे तो खैरखाता के दो व्यक्ति सूरजपाल सिंह और योगेन्द्र सिंह मिले, जिन्होंने बताया हमारे गांव के शमशानों के पास नदी के किनारे आन्नद पाल सिंह के खेत में लिपटिस के पेड़ों की आड़ में हमारे गांव के ही कुछ लोग गौवंशीय पशुओं का वध कर रहे है। गांव के लोगों की सचूना पर विश्वास करके सूरजपाल आदि को साथ लेकर आनन्द पाल के खेत के पास आये खेत में लगे लिपटीस की पेड़ों आड़ मे छूपकर देखा तो 6–7 व्यक्ति मांस टुकड़े करके थैलियो में भर रहे हैं। हम पुलिस वालो को विश्वास हुआ कि यही लोग गौवंशीय पशु का वध कर रहे हैं, हम पुलिस वालों ने एक बार की दबिस देकर पकड़ने का प्रयास किया तो यह सभी लोग नदी की तरफ को भाग गये, इनका पीछा हम पुलिस वालों ने किया, लेकिन जंगल होने के कारण हाथ नहीं आ सके भागे हुये व्यक्तियों को सूरजपाल सिंह व योगेन्द्र सिंह ने पहचान कर उनके नाम साजिद, हाजी अनवार, सिवते हसन, दिलशाद,

जहांगीर जिनके नाम पता मुताबिक फर्द बताया मौके पर कटा हुआ करीब दो कुंटल मांस पास में पड़ी दो छूरी एक कुल्हाड़ी, एक लकड़ी का गट्टा बरामद हुआ। बरामदा छूरी कुल्हाडी व लकड़ी के गट्टे को पास में पड़े एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। भागे हुये अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म मानते हुये बरामद गौमांस की फोटोग्राफी करायी गयी, मौके पर पशुचिकित्साधिकारी को सूचना दी गयी, जिन्होंने मौके पर पहुंचे में असमर्थता जतायी तथा थाने आने को कहा, फर्द मौके पर मेरे द्वारा लिखकर पढ़कर सुनाकर गवाह व हमराहीयान के हस्ताक्षर कराये गये बरामद गौमांस उचित माध्यम से थाने लाया गया। यह घटना समय करीब 14:10 बजे की है। घटनास्थल से एक मोबाईल फोन बरामद हुआ, जिसमें साजिद की फोटो लगी थी, जिसे एक लिफाफे मे रखकर चिटबंदी की गयी। दौरान बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकारों का पूर्णता पालन किया गया था। पत्रावली पर कागज सं0 4/5 को देखकर गवाह ने कहा यह वही फर्द है जो मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गयी थी जो हस्तलेख में है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रर्दश क–3 डाला गया। घटना में प्रयुक्त बरामद माल आज न्यायालय में उपस्थित है जो नमूना मोहर के साथ मौजूद है, जो पत्रावली पर कागज सं0 27a मौजूद है जो मेरे द्वारा मौके पर तैयार किया गया था, जिस पर मेरी सील लगी है, तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रर्दश क–4 डाला गया। बरामद माल एक कट्टे में सील है, जिस पर मुकदमे की इबारत लिखी है। मेरे व गवाहों के हस्ताक्षर माननीय न्यायालय की अनुमति से खोला गया। कट्टे पर वस्तु प्रर्दश–1 डाला गया। एक सफेद लिफाफा, जिस पर मुकदमे की इवारत लिखी है तथा चिट बंदी सील है, लिफाफे पर वस्तु प्रर्दश – 2 डाला गया, लिफाफा खोलने पर उसके अन्दर एक मोबाईल जिस REALME लिखा है, जिस पर वस्तु प्रर्दश–3 डाला गया। कट्टे के अन्दर एक लकड़ी का गट्टा जिसकी लम्बाई मेरे एक बालिस्त दो अंगुल चौड़ाई लगभग एक बालिस्त ऊंचाई पांच अंगुल, जिस पर वस्तु प्रर्दश–4 डाला गया। एक कुल्हाड़ी लोहे की, जिसमें लकडीड का बेंटा लगा है, जिस पर वस्तु प्रर्दश–5 डाला गया तथा दो छूरी लोहा, जिन पर वस्तु प्रर्दश क्रमं0 स 0 06–07 डाला गया। उपरोक्त सभी माल/काटने के उपकरण मौके से बरामद हुये थे जो मेरे द्वारा बरामद किये गये थे, तस्दीक करता हूँ।"

(16)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–6 सुनील कुमार, उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 12–06–2022 को मैं थाना भगतपुर पर तैनात था, उस दिन उपरोक्त मुकदमा अपराध सं0 139/2022 धारा–3/5/8 सी.एस. एक्ट बनाम शाजिद आदि थाना भगतपुर कि विवेचना थाना प्रभारी महोदय के आदेश से दिनांक 12–06–2022 को मेरे सुपुर्द हुयी थी। पूर्व किता नकल चिक, नकल रपट, बरामद फर्द का अवलोकन करने के पश्चात् दिनांक 12–06–2022 को सी.डी. का पहला पर्चा किता किया, जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, बयान FIR लेखक व बयान वादी के अंकित किये गये थे। दूसरा पर्चा 13–06–2022 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा नकल मेडिकल रिपोर्ट पशुचिकित्सालय भोजपुर व अभियुक्तगण के घर पर दबिश की कार्यवाही की गयी। सी.डी.–03 का पर्चा दिनांक 14–06–2022 को मेरे द्वारा किता किया गया, इसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर बरामद माल निस्तारण किया गया, जिसमें बरामद 200 किलोग्राम गोवंशीय मांस जे.सी.बी से गड्ढा कराकर गड्ढे मे दबाया गया और उसकी फोटोग्राफी की कार्यवाही की गयी। सी.डी0–04 का पर्चा दिनांक 19–06–2022 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण के मस्कन पर दबिश व

कॉल डिटेल प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट की कार्यवाही की गयी। सी.डी. 05 का पर्चा दिनांक 20–06–2022 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मैंने फर्द गवाह हेड कां0 राजीव कुमार के बयान व निरीक्षण घटनास्थल तथा दबिश की कार्यवाही की गयी। घटनास्थल का निरीक्षण हेड कां0 राजीव कुमार की निशांदेही पर किया गया तथा नक्शा–नजरी बनाया गया। सी.डी. 06 का पर्चा दिनांक 22–06–2022 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मैंने नकल रोपकार हाजिरी अभियुक्त शाजिद व शेष नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध एन.बी.डब्लू. प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित व माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त शाजिद के जिला कारागार में धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान अभिलिखित की कार्यवाही की गयी। दिनांक 25–06–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 07 किता किया गया, जिसमें शेष अभियुक्तगण के मिलने वाले स्थानों व मस्कन पर दबिश की कार्यवाही अभिलिखित की गयी। दिनांक 26–06–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 08 किता किया गया, जिसमे शेष अभियुक्तगण के मिलने वाले स्थानों व मस्कन पर दबिश की कार्यवाही अभिलिखित की गयी। दिनांक 27–06–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 09 किता किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जारी अभियुक्तगण के एन.बी.डब्लू. की नकल की गयी थी। दिनांक 29–06–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 10 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण अनवार व जहांगीर के रोपकार हाजिरी की नकल की व अभियक्तगण सिब्तेहसन व दिलशाद के घर पर एन.बी.डब्लू. चस्पा करने व आसपास के लोगों से जानकारी करने की कार्यवाही अभिलिखित की गयी। दिनांक 01–07–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 11 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें नकल अनुमति माननीय न्यायालय व अभियुक्तगण अनवार व जहांगीर के जिला कारागार में बयान अंकित की कार्यवाही की गयी व शेष अभियुक्तगण के घर पर दबिश दी गयी। दिनांक 03–07–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 12 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण सिब्तेहसन व दिलशाद के मिलने वाले स्थानों व मस्कन पर दबिश व अज्ञात अभियुक्तगण के सम्बंध में जानकारी की कार्यवाही अभिलिखित कि गयी। दिनांक 08–07–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 13 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण सिब्तेहसन व दिलशाद के मिलने वाले स्थानों व मस्कन पर दबिश व अज्ञात अभियुक्तगण के सम्बंध में जानकारी की कार्यवाही अभिलिखित की गयी। दिनांक 12–07–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 14 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण सिब्तेहसन व दिलशाद के मिलने वाले स्थानों व मस्कन पर दबिश व अज्ञात अभियुक्तगण के सम्बंध में जानकारी की कार्यवाही अभिलिखित की गयी। दिनांक 13–07–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 15 किता किया गया। सिब्तेहसन व दिलशाद के मस्कन पर दबिश की कार्यवाही अभिलिखित की गयी। दिनांक 16–07–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 16 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त सिब्तेहसन का न्यायालय में आत्मर्समणपन रोपकार प्राप्त हुआ, जिसका विवरण केस डायरी में अंकित किया गया तथा विधिविज्ञान प्रयोगशाला मथुरा की मांस परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुयी, जिसका विवरण अंकित किया गया तथा फर्द गवाह सूरजपाल, योगेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये, जिन्होंने फर्द/घटना का पूर्ण सर्मथन किया। दिनांक 18–07–2022 को केस डायरी के पर्चा नम्बर 17 में फरार अभियुक्त के मस्कन पर दबिश दी गयी। दिनांक 19–07–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 18 में माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त सिब्तेहसन के बयान अंकित किये। केस डायरी के पर्चा 19 में जो की 26–07–2022 को किता किया गया। फरार अभियुक्त के बारे में जानकारी करी गयी। सी.डी. के पर्चा नम्बर 20

में दिनांक 02–08–2022 को फरार अभियुक्त दिलशाद के विरूद्ध धारा 82 की कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रा0 पत्र प्रेषित किया। दिनांक 11–08–2022 को सी.डी. के पर्चा नम्बर 21 में फरार अभियुक्त दिलशाद के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 के दिये गये आदेशानुसार कार्यवाही की गयी। दिनांक 18–08–2022 को सी.डी. के पर्चा नम्बर 22 में व सी.डी. के पर्चा नम्बर 23 में व 29–08–2022 को सी.डी. के पर्चा नम्बर 24 में व 02–09–2022 को सी.डी. के पर्चा नम्बर 25 में फरार अभियुक्त दिलशाद के बारे में जानकरी की गयी व दबिश दी गयी, कोई जानकारी नहीं मिली तथा नहीं मिल पाया। उसी दिन अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, सिब्तेहसन, जहांगीर के विरूद्ध जुर्म साबित पाते हुये आरोप पत्र सं0 153/22 दिनांक 02–09–2022 को मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त दिलशाद की गिरफ्तारी शेष होने के कारण विवेचना प्रचलित रखी गयी। दिनांक 20–09–2022 को सी.डी. 26 में व 04–10–2022 को सी.डी. 27 में अभियुक्त दिलशाद के बारे में जानकारी की गयी तथा गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। दिनांक 21–10–2022 को केस डायरी के पर्चा नम्बर 28 में फरार अभियुक्त के बारे में जानकारी करते हुये व स्वतंत्र गवाह बयान युसूफ के बयान अंकित किये, जिसने बताया कि इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद व्यक्तियों के अलावा अज्ञात व्यक्ति के नाम जो लिखे है, ऐसा कोई व्यक्ति घटना में शामिल नहीं था। सी.डी. के पर्चा नम्बर 29 दिनांक 02–11–2022 में अभियुक्त दिलशाद के मस्कन पर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। दिनांक 25–11–2022 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 30 किता किया गया, जिसमे स्वतंत्र गवाह इसरार का बयान अंकित किया तथा दिलशाद के बारे में जानकारी की गयी। दिनांक 10–12–2022 को सी.डी. के पर्चा नम्बर 31 में माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर धारा 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही पूर्ण की गयी तथा बयान गवाह सुपुर्दगी युसूफ, इसरार, ताहिर के बयान अंकित किये, जिन्होंने बताया कि अभियुक्त दिलशाद की चल व अचल सम्पत्ति ग्राम प्रधान युसूफ की सुपुर्दगी में दी गयी तथा बयान गवाह शाहरूख व ताहिर, ग्राम चौकीदार के अंकित किये तथा उसी दिन अभियुक्त दिलशाद के विरूद्ध जुर्म साबित पाते हुये आरोप पत्र सं0 153A/22 दिनांक 10–12–2022 को मेरे द्वारा माननीय न्यायलय प्रेषित किया गया। दिनांक 22–06–2023 को सी.डी. 32/एस.सी.डी.–01 में अभियुक्त दिलशाद का हाजिरी रोपकार प्राप्त होने के पश्चात् माननीय न्यायलय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त दिलशाद के बयान जिला कारागार में जाकर अंकित किये तथा विवेचना समाप्त की गयी। नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जो पत्रावली कागज सं0 05/28 के रूप में संलग्न है, तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रर्दश क–5 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं0–5/29 विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने सैम्पल का प्रपत्र पशुचिकित्साधिकारी महोदय द्वारा दिया गया प्रपत्र मौजूद है, जिस पर प्रर्दश क–6 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं0–5/40 एफ.एस.एल. मांस परीक्षण हेतु दाखिला रशीद मौजूद है, जिस पर प्रर्दश क–7 डाला गया । पत्रावली पर कागज सं0–5/48 व 5/50 एफ.एस.एल. रिपोर्ट मौजूद है, जिस पर प्रर्दश क–8 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं0–5/49 बरामद मांस निस्तारण डी0 वी0 डी0 मौजूद है, जो निस्तारण के समय तैयार करायी गयी थी, साबित करता हूं, जिस पर प्रर्दश क–9 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं0 5/22 ता 24 मांस निस्तारण के समय लिये गये फोटो मौजूद है, तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रर्दश क –10 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं0–5/25 मांस निस्तारण कि जी.डी. मौजूद है, जिस पर प्रर्दश क–11 डाला गया। पत्रावली

पर कागज सं0–5/9 व 10 अभियुक्त दिलशाद की गयी धारा 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के सम्बंध में सुपुर्दगार को दिये गये सामान की सूची मौजूद है, जो मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रर्दश क–12 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं0–3/1 ता 3/8 आरोप पत्र सं0–153/22 मेरे द्वारा तैयार कर प्रेषित किया तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रर्दश क–13 डाला गया व पत्रावली पर कागज सं0–3/9 ता 3/14 आरोप पत्र सं0–153A/22 मेरे द्वारा तैयार कर प्रेषित किया गया, तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रर्दश क–14 डाला गया।"

(17)– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता/विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित होता है। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगणगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक के आधार पर अभियुक्तगणगण के विरुद्ध विरचित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते हैं तथा अभियुक्तगणगण को दोषसिद्ध किया जाए।

(18)– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियोजन की ओर से जो साक्षीगण परीक्षित कराये गए हैं, उनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगणगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगणगण निर्दोष है तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(19)– प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि, क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगणगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

(20)– अवधार्य प्रश्न यह है कि, क्या दिनांक 12.06.2022 को समय 14.10 बजे, स्थान जंगल ग्राम खैरखाता, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में गोवंशीय पशुओं का वध करने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आप अभियुक्तगण को गोवंशीय पशुओं के मांस के टुकड़े करके थैलियों में भरते हुए देखा तथा आप अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो आप अभियुक्तगण मौके से भाग गये। पुलिस ने मौके से करीब दो कुन्तल गोवंशीय पशु का मांस, दो छुरी, एक कुल्हाड़ी व लकड़ी का एक गट्टा बरामद किया ?

मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था ***<u>टीका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1974 SC 155</u>*** में यह अवधारित किया गया है कि,

> "The Prosecution is to establish its case beyond reasonable doubt, falsity of defence is not material."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था ***<u>कलीराम बनाम हिमाचल राज्य AIR 1973 SC 2773</u>*** में यह अवधारित किया गया है कि,

> "One of the cardinal principles, which has always to be kept in view in our system of administration of justice for criminal cases, is that a person arraigned as an accused is presumed to be innocent, unless that

> presumption is rebutted by the prosecution by production of evidence, which shows him to be guilty of the offence, by which he has been charged."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह AIR 1988 SC 1998*** में यह अवधारित किया गया है कि–

> "Presiding as judge of the Court, administering justice in criminal side and has held that acquittal on flimsy ground would shake basic fabric of our Constitution. Justice social, economical and political, being one of aloud objects as reflected in preamble of Constitution. Judge does not preside over a trial merely to see that no innocent men is punished. A judge also to see that a guilty men does not escape. One is as important as the other. Both are public duties, which the Judge has to perform."

(21)– वर्तमान मामला मौखिक साक्ष्य पर आधारित है और इस मामले में गवाहों द्वारा दिये गये साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

(22)– पी0 डब्लू0–1 अरविन्द कुमार, उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.06.2022 को पी0 डब्लू0–1 की ड्यूटी थाना कार्यालय पर थी। तभी पी0 डब्लू0–1 को एक हस्तलिखित तहरीर पी0 डब्लू0–5 उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने लाकर दी, जिस पर थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर पी0 डब्लू0–1 ने मुकदमा अपराध संख्या–139/2022, धारा–3/5/8 सी0 एस 0 एक्ट बनाम शाजिद, हाजी अनवार, सिफ्ते हसन, दिलशाद, जहांगीर, अज्ञात–2 के विरुद्ध दर्ज किया था जो कि फर्द के आधार पर शब्द व शब्द बोलकर सी.सी.टी.एन.एस. पर कम्प्यूटर ऑपरेटर सोहनपाल से अंकित करायी थी। पी0 डब्लू0–1 ने एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–1 तथा जी.डी. नंबर 48 दिनांक 12.06.2022 को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

पी0 डब्लू0–1 अरविन्द कुमार, उपनिरीक्षक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पहले जी.डी. कायमी तैयार की गयी थी। फिर एफ.आई.आर. हुई थी। एफ.आई.आर. लिखने में 20 से 25 मिनट लगे थे। पूरी प्रक्रिया में लगभग 20–25 मिनट लगे थे। एफ.आई.आर. थाना प्रभारी के मौखिक आदेश से लिखी गयी।

पी0 डब्लू0–1 अरविन्द कुमार, उपनिरीक्षक के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पी0 डब्लू0–1 ने एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–1 तथा जी.डी. नंबर 48 दिनांक 12.06.2022 को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

(23)– पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.06.2022 को पी0 डब्लू0–2 ने व पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह ने देखा कि जब हम खेत पर जा रहे थे, तो हमारे गांव के शमशानों के पास नदीं किनारे आनन्द पाल के खेत में

पेड़ों की आड़ में कुछ व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को काट रहे थे। हम लोगों ने चौकी मानपुर को फोन से सूचना दी, चौकी इन्चार्ज घटनास्थल पर आये। पी0 डब्लू0–2 ने व पी0 डब्लू0–3 ने आड़ से छुपकर देखा तो 06–07 लोग मांस के टुकड़े करके थैले भर रहे थे, जैसे ही अभियुक्तगण ने पी0 डब्लू0–2 व पी0 डब्लू0–3 व पुलिस वालों को देखा तो वहां से भाग गये। जिनका पीछा पुलिसवालों ने किया, लेकिन हाथ नहीं आ सके। भागने वाले अभियुक्तगण को पी0 डब्लू0–2 ने भागते समय पहचाना था, क्योंकि अभियुक्तगण हमारे ही गांव के अभियुक्तगण साजिद, हाजी अनवार, सिफ्ते हसन, दिलशाद, जहांगीर व 02 अन्य लोग थे, जिन्हें पी0 डब्लू0–2 नहीं जानता था। घटनास्थल पर मिले गोवंशीय मांस व अवशेषों को चौकी इंचार्ज द्वारा थाने लाया गया था। यह बात पी0 डब्लू0–2 ने दिनांक 16.07.2022 को विवेचक को भी बतायी थी। घटनास्थल पर दरोगा जी ने जो बरामदगी फर्द बनायी, उस पर भी पी0 डब्लू0–2 के हस्ताक्षर कराये थे जो पत्रावली पर कागज संख्या–4/15 मौजूद है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं, पी0 डब्लू0–2 ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की।

पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–2 शिक्षक है और विद्यालय में पढ़ाता है। 25 साल से पी0 डब्लू0–2 गांव में ही पढ़ाता है। घटना वाले दिन रात के लगभग 12 बजे के आसपास घर से खेतों के लिए निकला था। हमारा खेत घर से लगभग 500 मीटर होगा। पी0 डब्लू0–2 के साथी पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल ने पुलिस को लगभग 12.30 बजे फोन किया था। पुलिस करीब आधे घण्टे में घटनास्थल पर आ गयी थी। घटनास्थल पर अंधेरा था। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँची, तो अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गये थे। करीब अभियुक्तगण की दूरी पी0 डब्लू0–2, पी0 डब्लू0–3 व पुलिस से करीब 15 मीटर रही थी। जब अभियुक्तगण अंधेरे का लाभ उठाकर भागे, पी0 डब्लू0–2 ने अभियुक्तगण को अंधेरे में भागते हुए पीछे से पहचान लिया। अभियुक्तगण ने घटनास्थल पर ही गोवंशीय पशु को काटा था। पूछ और सींग व अन्य अवशेष घटनास्थल पर मिले थे। पुलिस ने यह बात फर्द बरामदगी/प्रथम सूचना रिपोर्ट में न लिखी हो, पी0 डब्लू0–2 इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। पुलिस ने पी0 डब्लू0–4 पशु चिकित्सक को घटनास्थल पर नहीं बुलाया था।

पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटनास्थल पर अंधेरा था और अभियुक्तगण घटनास्थल पर पुलिस के आने से पहले ही घटनास्थल से भाग गये थे। पी0 डब्लू0–2 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्तगण ने घटनास्थल पर ही गोवंशीय पशु को काटा था, जबकि पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–3 ने घटनास्थल पर किसी भी अभियुक्तगण को गोवंशीय पशु का वध करते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार पी0 डब्लू0–2 व पी0 डब्लू0–3 के अभियुक्तगण द्वारा गोवंशीय पशु का वध करने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। पी0 डब्लू0–2 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर पूछ और सींग व अन्य अवशेष मिले थे, जबकि पी0 डब्लू0–5 सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर गोवंशीय पशु का सिर, पैर, खाल व अन्य अवशेष नहीं मिले थे। इस प्रकार पी0 डब्लू0–2 व पी0 डब्लू0–5 के घटनास्थल पर पूछ और सींग व अन्य अवशेष मिलने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये

गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। पुलिस ने पी0 डब्लू0–4 पशु चिकित्सक को घटनास्थल पर नहीं बुलाया था।

(24)– पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.06.2022 को पी0 डब्लू0–3 व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह जब खेत पर जा रहे थे तो पी0 डब्लू0–3 के गांव के शमशानों के पास नदी किनारे आनन्द पाल के खेत में पेड़ों की आड़ में अभियुक्तगण गोवंशीय पशुओं को काट रहे थे। पी0 डब्लू0–3 ने चौकी मानपुर को फोन से सूचना दी कि चौकी इंचार्ज घटनास्थल पर आये। पी0 डब्लू0–3 ने आड़ से छुपकर देखा वो 06–07 अभियुक्तगण मांस के टुकड़े करके थैले में भर रहे थे। जैसे ही अभियुक्तगण ने पी0 डब्लू0–3 को व पुलिस वालों को देखा तो अभियुक्तगण वहां से भाग गये। अभियुक्तगण का पीछा पुलिसवालों ने किया, लेकिन हाथ नहीं आ सके। भागने वाले अभियुक्तगण को पी0 डब्लू0–3 ने भागते समय पहचाना था, क्योंकि अभियुक्तगण हमारे ही गांव के अभियुक्तगण साजिद, हाजी अनवार, सिफ्ते हसन, दिलशाद, जहांगीर व 02 अन्य लोग थे, अभियुक्तगण को पी0 डब्लू0–3 नहीं जानता था। वहां पर मिले गोवंशीय मांस व अवशेषों को चौकी इंचार्ज द्वारा थाने लाया गया था। यह बात पी0 डब्लू0–3 ने दिनांक 16.07.2022 को विवेचक को भी बतायी थी। घटनास्थल पर दरोगा जी ने जो बरामदगी फर्द बनायी, उस पर भी पी0 डब्लू0–3 के हस्ताक्षर कराये थे जो पत्रावली पर कागज संख्या–4/15 मौजूद है तथा पी0 डब्लू0–3 के हस्ताक्षर हैं। पी0 डब्लू0–3 ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की।

पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–3 खेती का कार्य करता है। घटना वाले दिन पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने फोन करके घर बुलाया था। 01 या 01.30 बजे पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने पी0 डब्लू0–3 को फोन करके बुलाया था। पी0 डब्लू0–3 को पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने फोन करके अपने खेत पर बुलाया था। फिर पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने पुलिस को फोन किया था। उसके एक घण्टे बाद पुलिस घटनास्थल पर आ गयी थी। पुलिस हमें गस्त के दौरान हमारे गांव खैरखाता में नहीं मिली थी। अगर पुलिस ने यह बात पुलिस ने फर्द/एफ.आई.आर. में लिखी हो कि हमें पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र व पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल गस्त के दौरान खैरखाता में अचानक मिले थे, तो पी0 डब्लू0–3 इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। जब अभियुक्तगण भाग रहे थे, पी0 डब्लू0–3 के व अभियुक्तगण के बीच की दूरी 10 से 15 मीटर रही होगी।। जिस समय अभियुक्तगण घटनास्थल से भागे उस समय तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं आयी थी। अभियुक्तगण के भाग जाने के करीब एक घण्टे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँची। पी0 डब्लू0–3 ने पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह के घटनास्थल पर पहुँचने के बाद पुलिस को फोन किया था। पी0 डब्लू0–3 ने व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने जब अभियुक्तगण भाग रहे थे तो पी0 डब्लू0–3 ने अभियुक्तगण का पीछा किया था, परन्तु अभियुक्तगण अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये थे। पी0 डब्लू0–3 ने घटनास्थल पर किसी भी अभियुक्तगण को गोवंशीय पशु का वध करते नहीं देखा। पी0 डब्लू0–3 ने किसी भी अभियुक्तगण को गोवंशीय मांस बेचते हुए नहीं देखा। घटनास्थल पर गोवंशीय पशु के पूछ, सिर, पैर व अन्य अवशेष घटनास्थल पर पड़े हुए देखे थे और पुलिस को भी दिखाये थे। अगर पुलिस ने फर्द/एफ.आई.आर. में यह बात न लिखी हो तो पी0 डब्लू0–3 इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। पुलिस ने पशु चिकित्सक को घटनास्थल पर नहीं बुलाया था, न ही

पशु चिकित्सक को सूचित किया था। पुलिस ने पी0 डब्लू0–3 से थाने पर प्रार्थना पत्र लिखवाया था। पुलिस ने पी0 डब्लू0–3 से फर्द पर हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने पी0 डब्लू0–3 के उसी दिन बयान लिये थे। घटनास्थल पर आनन्दपाल के खेत के आसपास के लोग व गांव के लोग आ गये थे। गांव के अन्य लोगों ने पी0 डब्लू0–5 सुरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार सिंह, रवि कुमार व अन्य काफी लोग घटनास्थल पर आ गये थे। जब उस समय घटनास्थल पर पी0 डब्लू0–3 के सामने व गांव के सामने घटनास्थल पर कोई भी अभियुक्त मौजूद नहीं था। केवल आनन्दपाल के खेत में गोवंशीय पशु के मांस व अवशेष सिर, खाल, पूछ, पैर व काटने व तोलने के उपकरण पड़े हुए थे। खेत मालिक घटनास्थल पर घटना वाले दिन नहीं आये थे।

पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण घटनास्थल पर पुलिस के आने से पहले ही घटनास्थल से भाग गये थे। पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–3 ने घटनास्थल पर किसी भी अभियुक्तगण को गोवंशीय पशु का वध करते हुए नहीं देखा था , जबकि पी0 डब्लू0–2 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्तगण ने घटनास्थल पर ही गोवंशीय पशु को काटा था। इस प्रकार पी0 डब्लू0–3 व पी0 डब्लू0–2 के अभियुक्तगण द्वारा गोवंशीय पशु का वध करने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। पी0 डब्लू0–3 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर गोवंशीय पशु के पूछ, सिर, पैर व अन्य अवशेष घटनास्थल पर पड़े हुए देखे थे, जबकि पी0 डब्लू0–5 सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर गोवंशीय पशु का सिर, पैर, खाल व अन्य अवशेष नहीं मिले थे। इस प्रकार पी0 डब्लू0–3 व पी0 डब्लू0–5 के घटनास्थल पर सिर, पैर व अन्य अवशेष मिलने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0–3 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। पुलिस ने पी0 डब्लू0–4 पशु चिकित्सक को घटनास्थल पर नहीं बुलाया था। पी0 डब्लू0–3 ने किसी भी अभियुक्तगण को गोवंशीय मांस बेचते हुए नहीं देखा था। पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर सुरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार सिंह, रवि कुमार व अन्य काफी लोग आ गये थे, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा सुरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार सिंह और रवि कुमार को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है।

(25)– पी0 डब्लू0–4 डॉ0 नरेशचन्द्र, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.06.2022 को पी0 डब्लू0–4 पशु चिकित्सालय डिलारी पर बतौर पशु चिकित्साधिकारी तैनात था। घटना वाले दिन पी0 डब्लू0–4 पशु चिकित्साधिकारी, पशु चिकित्सालय भोजपुर का भी इन्चार्ज था। घटना वाले दिन पी0 डब्लू0–4 को थाना भगतपुर से मांस बरामद किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पी0 डब्लू0–4 ने घटनास्थल पर जाने में असमर्थता जताते हुए बरामद मांस का परीक्षण थाने पर आकर करने को कहा। उसी दिन पी0 डब्लू0–4 समय लगभग 6 पी.एम. थाना भगतपुर पहुँचा। पी0 डब्लू0–4 ने थाना परिसर में बरामद मांस लगभग दो कुन्टल का भौतिक परीक्षण करते हुए पाया कि बरामद मांस पर लगी खाल जिस पर छोटे बाल जिनका रंग ब्राउन था। मांस पर लगी चर्बी पीले कलर की थी। लगभग बरामद मांस 6–7 घण्टे पहले

का कटा हुआ था। पी0 डब्लू0–4 की राय में बरामद मांस गोवंशीय पशु का होना प्रतीत हो रहा था। बरामद मांस से पी0 डब्लू0–4 ने रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला मथुरा भेजे जाने के लिए दो प्लास्टिक के जार में सैंपिल लिया था, जिसका सील सर्वे मोहर व नमूना मोहर बनाया था। पी0 डब्लू0–4 ने मांस परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है।

पी0 डब्लू0–4 डॉ0 नरेशचन्द्र, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थाना भगतपुर से पी0 डब्लू0–4 को सूचना लगभग 2.30–3.00 बजे मिली थी। पी0 डब्लू0–4 थाना लगभग 6 बजे पहुंचा था। थाना परिसर के खुले स्थान पर मांस रखा हुआ था। पुलिस ने जो मांस पी0 डब्लू0–4 को थाने पर रखा हुआ दिखाया था, उस मांस का पी0 डब्लू0–4 ने परीक्षण कर लिया था। पुलिस थाने पर रखा मांस पुलिस कहां से, किसके पास से लेकर आई थी, पी0 डब्लू0–4 को कोई जानकारी नहीं है। जब पी0 डब्लू0–4 थाने पहुँचा, तब पी0 डब्लू0–4 के मांस परीक्षण से पूर्व ही थाने पर रखे मांस से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट हो चुकी थी। पुलिस हमें परीक्षण के लिए इसलिए बुलाती है कि यह पता लग सके कि थाने पर रखा मांस गोवंशीय है या भैंसवंशीय है। पी0 डब्लू0–4 ने थाने पर रखा मांस का सैम्पिल उसी दिन परीक्षण के बाद पुलिस को दे दिया था। पी0 डब्लू0–4 को कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस ने वह सैंपल कितने दिन बाद भेजा।

पी0 डब्लू0–4 डॉ0 नरेशचन्द्र, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पी0 डब्लू0–4 को पुलिस ने घटनास्थल पर नहीं बुलाया था और न ही घटनास्थल पर जाकर पी0 डब्लू0–4 ने मांस का कोई सैंपल लिया था। पी0 डब्लू0–4 को दिनांक 12.06.2022 को सूचना दी थी और सूचना देकर थाने पर बुलाया था तथा पुलिस की सूचना पर थाने पहुंचा था। पी0 डब्लू0–4 को पुलिस ने थाने पर रखा मांस दिखाया था। यह मांस पुलिस कहां से और किसके पास से लेकर आयी थी, पी0 डब्लू0–4 को जानकारी नहीं है। जो मांस पुलिस ने पी0 डब्लू0–4 को दिखाया था, तब पी0 डब्लू0–4 ने पुलिस के कहे अनुसार थाने पर रखे मांस का परीक्षण किया था। यह मांस किससे, किसके पास से बरामद हुआ था, पी0 डब्लू0–4 को कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार पी0 डब्लू0–4 के प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पुलिस पार्टी द्वारा पी0 डब्लू0–4 को बरामद मांस के परीक्षण हेतु घटनास्थल पर नहीं बुलाया गया था तथा पी0 डब्लू0–4 ने घटनास्थल से बरामद मांस का कोई सैंपल नहीं लिया था। पी0 डब्लू0–4 द्वारा बरामद मांस का थाने पर बैठकर परीक्षण किया गया था। जब पी0 डब्लू0–4 थाने पहुँचा, तब पी0 डब्लू0–4 के मांस परीक्षण से पूर्व ही थाने पर रखे मांस से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट हो चुकी थी।

(26)– पी0 डब्लू0–5 सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12–06–2022 को पी0 डब्लू0–5 थाना भगतपुर में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उस दिन पी0 डब्लू0–5 पुलिस चौकी मानपुर का बतौर प्रभारी तैनात था। उस दिन पी0 डब्लू0–5 मय हमराही हेड का0 राजीव कुमार, होमगार्ड जोधा सिंह व होमगार्ड हरि प्रकाश के थाना हाजा से व हवाले रपट नम्बर 35 समय 12:27 बजे रवाना होकर चौकी क्षेत्र मानपुर में वास्ते देखरेख व शांति व्यवस्था आदि में मामूर थे। जब हम डूंगरपुर चौराहे से गस्त करते हुये ग्राम खैरखाता पहुंचे तो खैरखाता के दो व्यक्ति पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह और पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह मिले, जिन्होंने बताया हमारे गांव के शमशानों के पास नदी के किनारे आन्नद पाल सिंह के खेत में लिप्टिस के पेड़ों की आड़ में हमारे गांव के ही

कुछ लोग गौवंशीय पशुओं का वध कर रहे है। गांव के लोगों की सचूना पर विश्वास करके पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल आदि को साथ लेकर आनन्दपाल के खेत के पास आये खेत में लगे लिप्टिस की पेड़ों आड़ मे छूपकर देखा तो 6–7 अभियुक्तगण मांस टुकड़े करके थैलियों में भर रहे हैं। हम पुलिस वालो को विश्वास हुआ कि यही अभियुक्तगण गौवंशीय पशु का वध कर रहे हैं, हम पुलिस वालों ने एक बार की दबिश देकर पकड़ने का प्रयास किया तो यह सभी लोग नदी की तरफ को भाग गये, इनका पीछा हम पुलिस वालों ने किया, लेकिन जंगल होने के कारण हाथ नहीं आ सके भागे हुये अभियुक्तगण को पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल सिंह व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने पहचान कर उनके नाम अभियुक्तगण साजिद, हाजी अनवार, सिवते हसन, दिलशाद, जहांगीर जिनके नाम पता मुताबिक फर्द बताया घटनास्थल पर कटा हुआ करीब दो कुंटल मांस पास में पड़ी दो छूरी एक कुल्हाड़ी, एक लकड़ी का गट्टा बरामद हुआ। बरामदा छूरी कुल्हाडी व लकड़ी के गट्टे को पास में पड़े एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। भागे हुये अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म मानते हुये बरामद गौमांस की फोटोग्राफी करायी गयी, घटनास्थल पर पशुचिकित्साधिकारी को सूचना दी गयी, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचे में असमर्थता जतायी तथा थाने आने को कहा, फर्द घटनास्थल पर पी0 डब्लू0–5 के द्वारा लिखकर पढ़कर सुनाकर गवाह व हमराहीयान के हस्ताक्षर कराये गये बरामद गौमांस उचित माध्यम से थाने लाया गया। यह घटना समय करीब 14:10 बजे की है। घटनास्थल से एक मोबाईल फोन बरामद हुआ, जिसमें अभियुक्त साजिद की फोटो लगी थी, जिसे एक लिफाफे मे रखकर चिटबंदी की गयी। दौरान बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकारों का पूर्णता पालन किया गया था। पी0 डब्लू0–5 ने फर्द को प्रर्दश क–3 व नमूना मोहर को प्रर्दश क–4 के रूप में साबित किया है। बरामद माल एक कट्टे में सील है, जिस पर मुकदमे की इबारत लिखी है। बरामद माल माननीय न्यायालय की अनुमति से खोला गया। पी0 डब्लू0–5 ने कट्टे को वस्तु प्रर्दश–1, लिफाफे को वस्तु प्रर्दश – 2, एक मोबाईल जिस REALME को वस्तु प्रर्दश–3, एक लकड़ी का गट्टा को वस्तु प्रर्दश–4, एक कुल्हाड़ी लोहे की को वस्तु प्रर्दश–5, दो छूरी लोहा को वस्तु प्रर्दश क्रमशः 06–07 के रूप में साबित किया है।

पी0 डब्लू0–5 सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थाने से हम पुलिस कर्मचारीगण दिन के 12:27 बजे चले थे। जी.डी. में रवानगी की थी, जी.डी. रवानगी आज पी0 डब्लू0–5 साथ लेकर नहीं आया है और न ही ऐसी कोई जी.डी.. रवानगी पत्रावली पर मौजूद है। हम पुलिस कर्मचारीगण को ग्राम खैरखाता के पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने किसी भी घटना के सम्बंध में घटना वाले दिन पी0 डब्लू0–5 को फोन पर सूचना नहीं दी थी, न ही फोन पर सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया था, बल्कि पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह गस्त के दौरान अपने गांव खैरखाता में अचानक मिले थे। घटनास्थल पर सबसे पहले हम पुलिस कर्मचारीगण ही पहुंचे थे। हमारे पीछे–पीछे पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह भी थे। घटनास्थल पर गौवंशीय पशु का सिर, पैर, पूछ, खाल व कोई अन्य अवशेष घटनास्थल पर नहीं मिला था, न ही घटनास्थल पर हमने किसी अभियुक्तगण को पकड़ा और न ही किसी अभियुक्त को पुलिस कर्मचारीगण ने घटनास्थल पर पहचाना, न ही इस मुकदमे में किसी भी अभियुक्तगण से कोई बरामदगी हुयी थी। बरामदा माल को छोटे हाथी से थाने लेकर गये थे। पशु चिकित्सक घटनास्थल पर नहीं आये थे। पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह घटनास्थल से थाने हमारे साथ गये थे। घटनास्थल

पर हम पुलिस कर्मचारगण व इस मुकदमे के अन्य गवाहन ने किसी भी गौवंशीय पशु का वध होते हुये नहीं देखा। घटनास्थल पर हम पुलिस कर्मचारीगण को गौवंशीय पशु के मांस बेचने का भी साक्ष्य नहीं मिला।

पी0 डब्लू0–5 सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पी0 डब्लू0–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पुलिस कर्मचारीगण को ग्राम खैरखाता के पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल व पी0 डब्लू0–2 योगेन्द्र सिंह ने किसी भी घटना के सम्बंध में घटना वाले दिन पी0 डब्लू0–5 को फोन पर सूचना नहीं दी थी और न ही फोन पर सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया था, जबकि पी0 डब्लू0–2 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–2 व पी0 डब्लू0–3 ने पुलिस को घटना वाले दिन लगभग 12.30 बजे फोन किया था और पुलिस आधे घण्टे में घटनास्थल पर आ गयी थी। इस प्रकार पी0 डब्लू0–2 व पी0 डब्लू0–5 के घटनास्थल पर पुलिस को बुलाने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। पी0 डब्लू0–2 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर पूछ और सींग व अन्य अवशेष मिले थे, जबकि पी0 डब्लू0–5 सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर गोवंशीय पशु का सिर, पैर, खाल व अन्य अवशेष नहीं मिले थे। इस प्रकार पी0 डब्लू0–2 व पी0 डब्लू0–5 के घटनास्थल पर पूछ और सींग व अन्य अवशेष मिलने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। पी0 डब्लू0–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि घटनास्थल पर हमने किसी अभियुक्तगण को नहीं पकड़ा था और न ही किसी अभियुक्त को पुलिस कर्मचारीगण ने घटनास्थल पर पहचाना था और न ही इस मुकदमे में किसी भी अभियुक्तगण से कोई बरामदगी हुयी थी। पशु चिकित्सक घटनास्थल पर नहीं आये थे। घटनास्थल पर हम पुलिस कर्मचारगण व इस मुकदमे के अन्य गवाहन ने किसी भी गौवंशीय पशु का वध होते हुये नहीं देखा। घटनास्थल पर हम पुलिस कर्मचारीगण को गौवंशीय पशु के मांस बेचने का भी साक्ष्य नहीं मिला था।

(27)– पी0 डब्लू0–6 सुनील कुमार, उपनिरीक्षक, यह साक्षी जो कि प्रकरण का विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में विवेचात्मक कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत प्रस्तुत करते हुए नक्शा नजरी को पी0 डब्लू0–6 के द्वारा तैयार किया जाना तथा उसको प्रर्दश क–5, कागज सं0–5/29 विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने सैम्पल का प्रपत्र को प्रर्दश क–6, एफ.एस.एल. मांस परीक्षण हेतु दाखिला रशीद को प्रर्दश क–7, एफ.एस.एल. रिपोर्ट को प्रर्दश क–8, बरामद मांस निस्तारण डी0 वी0 डी0 को प्रर्दश क–9, मांस निस्तारण के समय लिये गये फोटो को प्रर्दश क–10, मांस निस्तारण कि जी.डी. को प्रर्दश क–11, अभियुक्त दिलशाद की गयी धारा 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के सामान की सूची को प्रर्दश क–12, आरोप पत्र सं0–153/22 को प्रर्दश क–13 तथा आरोप पत्र सं0–153A/22 को प्रर्दश क–14 के रूप में साबित किया है।

पी0 डब्लू0–6 सुनील कुमार, उपनिरीक्षक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–6 को विवेचना दिनांक 12–06–2022 को मिली थी। पी0 डब्लू0–2 योगन्द्र सिंह व पी0 डब्लू0–3 सूरजपाल के बयान दिनांक 16–07–2022 को घटना से लगभग 01 माह बाद अंकित किये थे। पी0 डब्लू0–2 योगन्द्र सिंह व पी0 डब्लू0–3 सूरज

पाल ने पी0 डब्लू0—6 को विवचेना के दौरान दिये गये बयान में यह बात नहीं बतायी थी कि पी0 डब्लू0—2 व पी0 डब्लू0—3 ने फोन से घटना के बारे में पुलिस चौकी मानपुर को सूचना दी हो और पी0 डब्लू0—2 व पी0 डब्लू0—3 की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर आयी हो। विवेचना के दौरान पी0 डब्लू0—6 को किसी भी गवाह ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि घटनास्थल पर गौवंशीय पशु के पूछ, सिर, पैर व अन्य कोई चीज बरामद हुयी हो। पी0 डब्लू0—2 योगेन्द्र सिंह व पी0 डब्लू0—3 सूरजपाल घटना के बाद पी0 डब्लू0—5 के पास घटना से एक माह बाद थाने पर बयान देने के लिये आये, घटना वाले दिन या घटना से एक दिन बाद नहीं आये थे। विवेचना के दौरान पी0 डब्लू0—6 को किसी गवाह ने यह नहीं बताया कि उन्होंने गौवंशीय पशु का वध होते देखा हो। विवेचना के दौरान घटनास्थल पर पी0 डब्लू0—6 को गौवंशीय मांस बेचने के सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। यह बात सही है कि इस मुकदमे में घटनास्थल से कोई भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया था। यह बात भी सही है कि इस मुकदमे में किसी भी अभियुक्त के पास से अथवा उसके प्रीमिसेस से कोई गौवंशीय मांस अथवा उपकरण बरामद नहीं हुये। घटनास्थल के खेत मालिक का बयान पी0 डब्लू0—6 ने विवेचना के दौरान दर्ज नहीं किया और न ही उससे कोई पूछताछ की। इस मुकदमे में पी0 डब्लू0—4 पशु चिकित्सक ने पहले मांस का परीक्षण किया था, उसके बाद इस मुकदमे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी थी। यह कहना सही है कि इस केस के वादी पी0 डब्लू0—5 सुरेन्द्र कुमार पी0 डब्लू0—6 से सीनियर है और पी0 डब्लू0—6 के विभागीय है और पी0 डब्लू0—6 व वादी पी0 डब्लू0—5 एक ही थाने पर तैनात थे।

पी0 डब्लू0—6 सुनील कुमार, उपनिरीक्षक के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पी0 डब्लू0—2 योगन्द्र सिंह व पी0 डब्लू0—3 सूरज पाल ने पी0 डब्लू0—6 को विवचेना के दौरान दिये गये बयान में यह बात नहीं बतायी थी कि पी0 डब्लू0—2 व पी0 डब्लू0—3 ने फोन से घटना के बारे में पुलिस चौकी मानपुर को सूचना दी हो और पी0 डब्लू0—2 व पी0 डब्लू0—3 की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर आयी हो, जबकि पी0 डब्लू0—2 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0—2 व पी0 डब्लू0—3 ने पुलिस को घटना वाले दिन लगभग 12.30 बजे फोन किया था और पुलिस आधे घण्टे में घटनास्थल पर आ गयी थी। इस प्रकार पी0 डब्लू0—2 व पी0 डब्लू0—6 के घटनास्थल पर पुलिस को बुलाने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0—2 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। विवेचना के दौरान पी0 डब्लू0—6 को किसी भी गवाह ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि घटनास्थल पर गौवंशीय पशु के पूछ, सिर, पैर व अन्य कोई चीज बरामद हुयी हो। पी0 डब्लू0—2 योगेन्द्र सिंह व पी0 डब्लू0—3 सूरजपाल घटना के बाद पी0 डब्लू0—5 के पास घटना से एक माह बाद थाने पर बयान देने के लिये आये, घटना वाले दिन या घटना से एक दिन बाद नहीं आये थे। विवेचना के दौरान पी0 डब्लू0—6 को किसी गवाह ने यह नहीं बताया कि उन्होंने गौवंशीय पशु का वध होते देखा हो। विवेचना के दौरान घटनास्थल पर पी0 डब्लू0—6 को गौवंशीय मांस बेचने के सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस मुकदमे में घटनास्थल से कोई भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया था। इस मुकदमे में किसी भी अभियुक्त के पास से अथवा अभियुक्तगण के प्रीमिसेस से कोई गौवंशीय मांस अथवा उपकरण बरामद नहीं हुये थे। घटनास्थल के खेत मालिक का बयान पी0 डब्लू0—6 ने विवेचना के दौरान दर्ज नहीं किया और न ही उससे कोई पूछताछ की। इस मुकदमे में पी0 डब्लू0—4 पशु चिकित्सक ने पहले मांस का परीक्षण किया था, उसके बाद इस मुकदमे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी थी, जबकि पी0 डब्लू0—

4 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि जब पी0 डब्लू0–4 थाने पहुँचा, तब पी0 डब्लू0–4 के मांस परीक्षण से पूर्व ही थाने पर रखे मांस से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट हो चुकी थी। इस प्रकार पी0 डब्लू0–6 व पी0 डब्लू0–4 के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है जो पी0 डब्लू0–6 के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है।

(28)– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष सत्र परीक्षण संख्या–730/2024 में अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, दिलशाद एवं जहाँगीर के विरूद्ध धारा–3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम में आरोपित आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, दिलशाद एवं जहाँगीर सन्देह का लाभ पाते हुए उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या–730/2024 में अभियुक्तगण शाजिद, हाजी अनवार, दिलशाद एवं जहाँगीर को धारा–3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उक्त मामले में दौरान विचारण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त करते हुये प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत दाखिल प्रतिभू प्रपत्र निर्णय की तिथि से आगामी छः माह की अवधि के लिए प्रभावी होंगें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 02.04.2026

(सन्दीप गुप्ता–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–3,
मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 02.04.2026

(सन्दीप गुप्ता–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–3,
मुरादाबाद।